95

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1812–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–5–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मनासा प्रकरण कमांक 25/अपील/2015–16.

रतनलाल पिता हीरालाल
निवासी रातीतलाई
तहसील मनासा जिला नीमच .....आवेदक

विरूद्ध

1– मानसिंह पिता भंवरलाल
2– इंदरसिंह पिता भंवरलाल
3– रामसिंह पिता नंदा
निवासीगण रातीतलाई
तहसील मनासा जिला .....अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मनासा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 मानसिंह द्वारा तहसील न्यायालय, मनासा के आदेश दिनांक 8–7–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मनासा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 25/अपील/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति की गई कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पिता का नाम गलत अंकित किया गया है और वर्ष 2006 के आदेश का अमल 2015 में बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुने

नहीं कराया जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–5–16 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 3–10–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा बिना अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लिये अपील प्रस्तुत की गई थी, जबकि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, अतः उसे बिना के अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

(2) वर्ष 2006 में पारित आदेश का अमल 2015 में कराया जा रहा है, जिसका अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 मानसिंह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, इसलिए वह अपील प्रस्तुत कर सकता है । यदि अनावेदक कमांक 1 के पिता के नाम में अन्तर है तो अनावेदक कमांक 1 इस त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, मनासा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर